


108

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा

जिला रीवा (म0प्र0)
पुनर्स्थापन/रीवा/अ-ग0/2017/2669



प्र0 क0-R 5167/15

RS-101-

सुरेश प्रसाद वर्मा तनय स्व0 रामसुन्दर वर्मा उम्र 53 वर्ष पेशा शासकीय नौकरी (शिक्षक) निवासी ग्राम खम्हारी (मनगवॉ) तह0 मनगवॉ जिला रीवा (म0प्र0)

आवेदक

बनाम

- 1- प्रेमवती पत्नी स्व0 रामनाथ विश्वकर्मा, उम्र 60 वर्ष पेशा नौकरी
- 2- सुनीता पुत्री रामनाथ विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम खम्हारी (मनगवॉ) तहसील व थाना मनगवॉ, जिला रीवा (म0प्र0), वर्तमान निवासी वार्ड क0-26 पोखरी टोला रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

अनावेदकगण

म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 35(3) के अधीन प्रकरण पुनर्स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

- 1- यह कि आवेदन ने उक्त पुनरीक्षण दिनांक 10.11.2015 को प्रस्तुत किया था। माननीय राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा में पीठासीन अधिकारी मुख्यालय ग्वालियर से आते है तब प्रकरणों की सुनवाई होती है।
- 2- यह कि माननीय राजस्व मण्डल की पीठासीन अधिकारी रीवा खण्डपीठ में काफी दिनों से नहीं आए, जिसके कारण प्रकरण में


अधिव. श्री विनोद तिवारी
द्वारा देखा 08.8.17

क्लर्क आफ
राजस्व मण्डल ग्वालियर
(सिफ्ट कोर्ट) रीवा
मान्यवर,

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/रेस्टो0/रीवा/2017/2669

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमापकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 5167-दो/2015 में दिनांक 16.05.17 को अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हो गया था। अतः अनुरोध किया गया है कि रेस्टोर्ड स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक निगरानी 5167-दो/2015 में दिनांक 16.05.17 पुनः नम्बर लिया जावे।</p> <p>2- तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण क्रमांक निगरानी 5167-दो/2015 में दिनांक 16.05.17 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण रेस्टोर्ड कर समाप्त किया जाता है।</p>	


सदस्य

